

F.3(2) F.D./SPFC/SPPP/SHPP/2024

Date: 24/09/2024

आदेश

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अन्तर्गत SHPP पर विभिन्न विभागों की निविदाओं हेतु प्रोसेसिंग फीस e-payment हेतु नवीन बजट मद को IFMS पर खोला जा चुका है।

SHPP हेतु नवीन बजट मद का विवरण निम्नानुसार है:-

0075-विविध सामान्य सेवाएँ,

800-अन्य प्राप्तियाँ

(54)-प्रोसेसिंग फीस

[01]-SHPP प्रोसेसिंग फीस की प्राप्तियाँ

अतः SHPP पोर्टल पर Bid /Tender Processing से सम्बन्धित पूर्व में RISL के बजट शीर्ष का उपयोग किया जाता रहा है। अब उक्त प्रायोजन हेतु RISL के बजट शीर्ष के स्थान पर निदेशालय, कोष एवं लेखा विभाग के अधीन IFMS पर खोले गये उपर्युक्त बजट शीर्ष का ही उपयोग किया जाना सुनिश्चित करावे।



संयुक्त शासन सचिव
वित्त (वित्तीय नियम) विभाग

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव,राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण /राज्य मंत्रीगण।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ट शासन सचिव।
3. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) / (ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर।
4. महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा) / (ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर।
6. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर को सिस्टम पर एन.आई.सी. के माध्यम से पूर्ण कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
7. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी समस्त विभाग को पालना सुनिश्चित करने हेतु।
8. समस्त कोषाधिकारी को पालना सुनिश्चित करने हेतु।
9. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय, जयपुर को सिस्टम में उक्त प्रावधान सुनिश्चित करने हेतु।
10. निदेशक (तकनीकी), वित्त विभाग को प्रेषित कर लेख है कि परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने का श्रम कराएँ।
11. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव
वित्त (वित्तीय नियम) विभाग